कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर)

// विज्ञापन//

क्रमांक-2234/दो-11-1/2025 अम्बिकापुर, दिनांक 22 जुलाई 2026

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि - 23.07.2026 प्रातः 11.00 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 13.08.2026 संध्या 05.00 बजे तक

छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम-2023 एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निर्देशों के अंतर्गत इस जिला स्थापना के अन्तर्गत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी (सहायक ग्रेड-3 एवं भृत्य) के निम्नांकित रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. रिक्त पदों का विवरण :-

रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अ0जा0जा0				अ0जा0				अ0पि0वर्ग				अनारक्षित पद			
		मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
सहायक ग्रेड-3	**2**	**1**	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
भृत्य	**3**	**1**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–

टीप :-
- ***पदों की संख्या परिवर्तनीय है।***

2. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :-

सहायक ग्रेड-3 (सेल अमीन, साक्ष्य लेखक) पद के लिए

(अ) **वेतनमान :-** छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल-04 (रूपये 19500-62000)

(ब) **शैक्षणिक योग्यता** :-

(i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण तथा;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण तथा;

(iii) कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।

(iv) यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

<u>भृत्य पद के लिए</u>

(अ) वेतनमान :- छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल-01 (रूपये 15600-49400)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :-

(i) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात् कक्षा आठवीं उत्तीर्ण हो।

(ii) यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

3. <u>आयु सीमा :-</u>

प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होगें, जिनकी आयु 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ0ग0 के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

छ0ग0 राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते है, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

<u>महत्वपूर्ण</u> टीप :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।

3. आयु की गणना दिनांक- 01.01.2026 के संदर्भ में की जाएगी।

4. <u>अन्य शर्तें :-</u>

1. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)

2. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

3. चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाणपत्र असत्य पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जावेगी।

4. उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. छ0ग0 राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर-क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर-क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किये जाने हेतु पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

6. सा.प्र.वि. क्र. एफ 3-1/2016/1-3 दिनांक-11.01.2017 के अनुसार महिलाओं के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये ही लागू होंगे।

7. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

8. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो वह नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

10. कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से

ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, जो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

11. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

12. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए की वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

13. दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामले में शारीरिक अशक्तता के प्रतिशत का सत्यापन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत गठित प्राधिकृत चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

14. दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा जारी ज्ञापन संख्या एफ-13-4/2023 दिनांक-29.05.2023 के अनुसार (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) नियुक्ति के दौरान यू0डी0आई0डी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी की जाति श्रेणी के आधार पर अभ्यर्थी का नाम आरक्षण रोस्टर के सुसंगत बिन्दु में दर्ज किया जाएगा।

15. किसी भी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/कौशल/उपयुक्तता परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (T.A./D.A.) नहीं दिया जाएगा। उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त किया जावेगा।

16. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।

17. जब कभी भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (सरगुजा) अम्बिकापुर के द्वारा विभिन्न पदों के लिये नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले जाते है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उन विज्ञापनों के संदर्भ में, असंगत प्रतिफल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन देता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

18. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के परिपत्र क्रमांक-17327/(Mis.) बिलासपुर, दिनांक-23.10.2024 के अनुसार "माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक-06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे

न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे। उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः यह सलाह दी जाती है कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन/आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।"

5. <u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

1- आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक-13.08.2026 की संध्या 5:00 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद सहायक ग्रेड-3/भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) छ0ग0 के **<u>कार्यालय में रखे ड्राप बॉक्स पर डाले जा सकेगें।</u>**

2- रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ई-मेल एवं फैक्स के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व तथा निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

3- आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर), दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4- विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जिला न्यायालय सरगुजा (अम्बिकापुर) के वेबसाईड https://surguja.dcourts.gov.in में किया जा सकता है, तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

5- कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिये आवेदन करना चाहता हो तो प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र पृथक-पृथक लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा। एक ही आवेदन फार्म में दो पदों के लिए किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

6- आवेदक, आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित **<u>पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो</u>** चस्पा करेगा।

7- आवेदक, आवेदन पत्र का सम्पूर्ण इन्द्राज **<u>नीले बॉल पेन/डॉट पेन</u>** से ही करेगा। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।

8- विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।

9- **त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, ओवरराईटिंग एवं अस्पष्ट** आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।

10- आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना होगा की वे आवेदन करने हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

6. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया :-

(6-अ) सहायक ग्रेड-3 पद के लिए -

चयन लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी :-

चरण-01 लिखित परीक्षा

चरण-02 कौशल परीक्षा

उपरोक्त आयोजित लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान की सूचना पृथक से कार्यालय के वेबसाईट- *https://surguja.dcourts.gov.in* पर अपलोड किया जावेगा। लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नही भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नही होगा।

चरण-01 लिखित परीक्षा

1. लिखित परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होगें जो 100 अंकों के होगें। जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी का ज्ञान, कम्प्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान तथा छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) से संबंधित प्रश्न पूछे जायेगें।
2. लिखित परीक्षा में नकारात्मक अंकन नही होगा।
3. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में 1:15 के अनुपात में अभ्यर्थियों को चरण-02 कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा, अंतिम समान अंक के सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा चाहे उसकी संख्या 1:15 से अधिक हो।

चरण-02 कौशल परीक्षा

1. कौशल परीक्षा के पूर्व या पश्चात दस्तावेज परीक्षण/जांच किया जावेगा।
2. **कौशल परीक्षा हिन्दी गद्यांश हेतु 50 अंक तथा अंग्रेजी गद्यांश हेतु 50 अंक की होगी।** कौशल परीक्षा में हिन्दी गद्यांश के 250 शब्द को 10 मिनट में तथा अंग्रेजी गद्यांश के 300 शब्द को 10 मिनट में शुद्वता से कम्प्यूटर में

टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेंटिग के लिए भी होगा। **कौशल परीक्षा उबन्टु लिनक्स (Ubuntu Linux) में ली जावेगी।**

3 कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदक का नाम प्रथम आएगा, उनका चयन किया जावेगा।

(6–ब) भृत्य (नियमित) पद के लिए –

लिखित परीक्षा एवं उपयुक्तता परीक्षा दो चरणों में चयन प्रक्रिया आयोजित की जावेगी :-

चरण–01 लिखित परीक्षा

चरण–02 उपयुक्तता परीक्षा

उपरोक्त आयोजित लिखित परीक्षा, उपयुक्तता परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान की सूचना पृथक से कार्यालय के वेबसाईट– *https://surguja.dcourts.gov.in* पर अपलोड किया जावेगा। लिखित परीक्षा/उपयुक्तता परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नही भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नही होगा।

चरण–01 लिखित परीक्षा (भृत्य पद हेतु)

1. लिखित परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होगें जो 100 अंकों के होगें। जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी का ज्ञान, सामान्य ज्ञान तथा छत्तीसगढ़ी (बोली)/ स्थानीय भाषा (बोली) से संबंधित प्रश्न पूछे जायेगें।
2. लिखित परीक्षा में नकारात्मक अंकन नही होगा।
3. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में 1:5 के अनुपात में अभ्यर्थीयों को चरण–02 उपयुक्तता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा, अंतिम समान अंक के सभी अभ्यर्थीयों को उपयुक्तता परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा चाहे उसकी संख्या 1:5 से अधिक हो।

चरण–02 उपयुक्तता परीक्षा (भृत्य पद हेतु)

1. उपयुक्तता परीक्षा के पूर्व या पश्चात् दस्तावेज परीक्षण/जांच किया जावेगा।

2. उपयुक्तता परीक्षा 50 अंक का लिया जावेगा।

3. उपयुक्तता परीक्षा में अंको के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदक का नाम प्रथम आएगा, उनका चयन किया जावेगा।

–: महत्वपूर्ण निर्देश :–

1– चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक पर अथवा अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा जिस पर उन्हें नियुक्त किया गया है। विनिर्दिष्ट समयावधि में कार्यभार ग्रहण न कर पाने वाले अभ्यर्थी का नाम चयनित अभ्यर्थी की सूची से हट जायेगा तथा वह अभ्यर्थी उस नियुक्ति हेतु पात्र नहीं रहेगा तथा उस दशा में प्रतिक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) में प्रवीण्यता की स्थिति (मेरिट पोजिशन) के आधार पर अभ्यर्थियों का नियुक्त किया जावेगा।

2– चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय में चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा।

3– चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) को होगा।

4– अनुसूचित जाति (अ0ज0)/अनुसूचित जन जाति (अ0ज0जा0)/अन्य पिछड़ा वर्ग(अ0पि0वर्ग) की दशा में अभ्यर्थी को 03 माह की अवधि के भीतर राज्य शासन की उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र सत्यापित कराना होगा। प्रमाण पत्रों की जांच में विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

5– चयनित उम्मीदवारों को जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

6- उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली चयन प्रक्रियाए माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस0एल0पी0(सी) क्रमांक-19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

7- यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताए, किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

22.07.2026

(अध्यक्ष)
चयन समिति
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय
सरगुजा (अम्बिकापुर) छ.ग.

आवेदन पत्र का प्रारूप

(.................................रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु)

आवदेक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सरगुजा (अम्बिकापुर) छ.ग.

1. आवेदित पद का नाम ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ....
   (अंग्रेजी के ब्लाक लेटर्स में) ....
3. लिंग-पुरूष संकेतांक-M महिला संकेतांक-F, अन्य संकेतांक-TG.............
4. पिता/पति का नाम ....
5. जाति/वर्ग ....
6. अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता ....
   (हिन्दी में) ....
   ....
   ब) स्थायी पता ....
   ....
   ....
7. अ) जन्म तिथि - अंको में ....
   शब्दों में ....
   ब) दिनांक 1/1/2026 को आयु :- वर्ष माह दिन
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है?
   हां/नहीं (यदि हां, तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
9. आवेदक छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसूचित ....
   जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी
   जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
10. क्या आवेदक दिव्यांग है? हां/नहीं ....
    (यदि हां, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड
    द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

11. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत ....

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं ....
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

13. रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन क्रमांक ....दिनांक...................

14. रोजगार कार्यालय का नाम ....

15. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	**परीक्षा का नाम**	**उत्तीर्ण होने का वर्ष**	**बोर्ड/वि.वि. का नाम**	**विषय**	**प्रतिशत**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

16. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र
की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।) ....

17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....
नाम एवं पूरा पता ....

स्थान ....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है और यदि वे झूठे या गलत पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....
नाम एवं पूरा पता ....

स्थान ....